पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक :2583/अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक : 04/11/2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 21.10.2011 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो.(श्रीमती) आभा रुपेन्द्र पाल	–	सदस्य
3.	प्रो.(श्रीमती) ज्योति रवि तिवारी	–	सदस्य
4.	प्रो. ए.के. पति	–	सदस्य
5.	प्रो बी.के.शर्मा	–	सदस्य
6.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
7.	डॉ. जगदीश गंगवानी	–	सदस्य
8.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
9.	डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
10.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
11.	श्री एस.के.चक्रवर्ती	–	सदस्य
12.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
13.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
14.	डॉ. उज्ज्वल पाटनी	–	सदस्य
15.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
16.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
17.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
18.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	–	सदस्य
19.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 12.09.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.09.2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.09.2011 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.09.2011 के निर्णय का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–3

विश्वविद्यालय के प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई राहत भत्ता 103 प्रतिशत प्रतिमाह प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के आदेश कमांक 193/239/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर दिनांक 21 जून, 2011 में उल्लेखित शर्तो के तहत छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को, माह अक्टूबर, 2011 से 103 प्रतिशत महंगाई राहत दर प्रतिमाह, जोड़कर प्रदान करने हेतु मान्य किया गया।

विषय क्रमांक–4

विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता 51 प्रतिशत प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 326/171/11/वित्त/नियम/चार रायपुर दिनांक 05.10.2011 के अनुसार पुनरीक्षित (छठवां वेतनमान) वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2011 से 51 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय संबंधी प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक–5

पूरक परीक्षा सत्र 2011 के लिए 42 परीक्षा केंद्रों को परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रू. 10,80,000=00 (दस लाख अस्सी हजार रूपये) के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः पूरक परीक्षा सत्र 2011 के लिए 42 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रु. 10,80,000.00(रुपए दस लाख अस्सी हजार मात्र) के भुगतान करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–6

वर्ष 2012 की मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए मुख्य उत्तर–पुस्तिका एवं पूरक उत्तर–पुस्तिका के मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराने पर विचार करना।

निर्णयः वर्ष 2012 की मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए 14,00,000 मुख्य उत्तरपुस्तिका एवं 4,00,000 पूरक उत्तरपुस्तिका का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–7

वर्ष 2012 की परीक्षा में रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य मेसर्स ओसवाल कम्प्यूटर एण्ड कंसल्टेंट प्रा. लिमि. इंदौर (म.प्र.) से कराने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः वर्ष 2012 की मुख्य/पूरक/सेमेस्टर परीक्षा में रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य मेसर्स ओसवाल कम्प्यूटर एण्ड कंसल्टेंट प्रा.लि.इंदौर (म.प्र.) से पूर्व वर्ष की दर पर, कराने हेतु अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–8

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान एवं एरियर्स के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के वित्त निर्देश 49/2011 पत्र क्रमांक 1533/एल. 11–2/वित्त/2010/ बजट–4/चार दिनांक 13.10.2011 विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को छठवें वेतनमान एवं एरियर्स के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के वित्त निर्देश 49/2011 पत्र क्रमांक 1533/एल. 11–2/वित्त/2010/ बजट–4/चार दिनांक 13.10.2011 के संबंध में कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

"राज्य शासन के अधीन निगम/मंडल/आयोग/अर्धशासकीय संस्थाओं एवं शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा जारी निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन को निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख करते हुए पत्र लिखा जाय –

राज्य शासन द्वारा अभिउल्लेखित निर्देश के परिप्रेक्ष्य में सर्वसम्मति से सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय न्यूनतम शैक्षणिक शुल्क में राज्य शासन द्वारा पारित एक्ट एवं विनियम के अनुसार समाज में शिक्षा के प्रचार–प्रसार विशेषकर रोजगार के क्षेत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान है, जो पूर्णतः राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान पर निर्भर है, शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रखना आवश्यक है, ताकि वे यह महसूस न कर सके कि राज्य शासन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा में असमानता है। विश्वविद्यालय पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध के साथ–साथ, लगभग 234 महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों की परीक्षा का दायित्व भी है। राज्य शासन द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा से हटकर स्कूल शिक्षा के कर्मचारियों/अधिकारियों एवं इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा स्थापित कालेजों के कर्मचारियों को राज्य शासन द्वारा छठवें वेतनमान का आर्थिक लाभ दिनांक 01.01.2006 से दिया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय के लिए उपरोक्त निर्देश के अनुसार दिनांक 01.11.2011 से लागू किया गया है। एक ही राज्य में स्थापित दोनों संस्थानों में अंतर करना उचित प्रतीत नहीं होता। कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों का यह अभिमत है कि राज्य शासन उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए स्थापित विश्वविद्यालय को शासन द्वारा जारी निर्देश से पृथक रखते हुए राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति दिनांक 01.01.2006 से छठवें वेतनमान का आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु अनुमति प्रदान करें। कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों का यह भी विचार है कि 01.01.2006 से मिलने वाला आर्थिक लाभ देने से शासन पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा।

विषय क्रमांक–9

डॉ. (कु.) गायत्री शर्मा डी.लिट्. शोधार्थी (दर्शन शास्त्र) के संबंध में परीक्षक द्वारा डी.लिट. उपाधि प्रदान करने के लिए की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : डॉ.(कु.) गायत्री शर्मा, शोधार्थी (डी.लिट्. दर्शनशास्त्र) को परीक्षक द्वारा डी.लिट्. उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–10

डॉ. गुरूदास तोलानी सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय, भाटापारा के द्वारा पी–एच.डी. उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबंध प्रकरण की जाँच उपरान्त जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णयः डॉ. गुरूदास तोलानी, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय, भाटापारा के द्वारा पी–एच.डी. उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध–प्रबंध के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत, जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मान्य किया गया। डॉ. गुरूदास तोलानी, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाय कि क्यों न आपको विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पी–एच.डी. उपाधि अध्यादेश कमांक 45 की कंडिका 25 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुभाग 6(12) के प्रावधानों के तहत निरस्त करते हुए, उपाधि वापस ली जावे।

विषय क्रमांक–11

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.10.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.10.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषयसूची :

क्रमांक –1

संशोधित विनियम कमांक 91 में संशोधन/समावेशन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **संशोधित विनियम कमांक 91 के संशोधन/समावेशन के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा निम्नलिखित आंशिक संशोधन के साथ मान्य किया गया।**

(i) असिस्टेंट प्रोग्रामर, ग्रंथालय एवं अन्य पद की योग्यता के संबंध में एक बार पुनः परीक्षण कर निर्धारित कर ली जाय।

(ii) जिन पदों पर शासन द्वारा निर्धारित योग्यता को मान्य करते हुए अनुशंसा की गई है उन पदों पर शासन द्वारा वर्तमान स्थिति तक जो भी संशोधन एवं प्रपत्र जारी किए गए हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आंशिक संशोधन कर ली जावे।

क्रमांक –2

कर्मचारी संघ के मांगों के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

बिंदु क्र. A विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों को छठवां वेतनमान/एरियर्स का भुगतान किये जाने के संबंध में।

निर्णय : **मुख्य विषय सूची के विषय क्रमांक 08 के अनुसार निर्णय लिया गया।**

बिंदु क्र. B पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/परिवार पेंशन/90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में।

निर्णय : **छठवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को, पुनरीक्षित (छठवां वेतनमान) वेतनमान में पेंशन/परिवार पेंशन/90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन, प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।**

बिंदु क्र. C प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रयोगशाला शिक्षकीय की श्रेणी में मान्य करने एवं अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष करने संबंधी शासनादेश अंगीकृत करने बाबत्।

निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में प्रकरण विचारार्थ रखा गया था जिसमें निर्णय लिया गया है कि संबंधित प्रकरण के संबंध में उच्च शिक्षा संचालनालय को पत्र भेजकर निर्देश प्राप्त किया जावे। पत्र भेजने के बाद प्रतिउत्तर अद्यतन अप्राप्त है।

उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 599/आ.उ.शि./राज.स्था./06 दिनांक 24.05.2006 के पत्र के अनुसार शासकीय कालेजों में वेकेशन का लाभ

दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में भी प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रयोगशाला शिक्षकीय श्रेणी में मान्य करने एवं अर्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव मान्य किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब–जब शासन में इस संबंध में नियमों में कोई परिवर्तन किया जाएगा, इनके लिए लागू होगा।

बिंदु क्र. D शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति राशि वृद्धि करने संबंधी।

निर्णय : विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में प्रकरण विचारार्थ रखा गया था। निर्णय – "पूर्व वर्ष की भाँति विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षक/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु ट्यूटशन फीस की छूट होगी।" अतः पूर्व कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार जो व्यवस्था लागू है उसी के अनुसार सुविधा दी जावे।

बिंदु क्र. E वर्ष 1997 से पूर्व कार्यरत 8 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को, राज्य शासन के आदेशानुसार नियमित किये जाने के संबंध में।

निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निर्णय हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को स्वीकृति हेतु पत्र भेजी जावे। पत्र भेजने के बाद, जवाब, अद्यतन अप्राप्त है।

वर्ष 1997 से पूर्व कार्यरत 8 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को, राज्य शासन के आदेशानुसार नियमित किये जाने के संबंध में एवं अन्य मांगों के संबंध में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि से चर्चा हेतु निम्नानुसार कार्यपरिषद् सदस्यों की समिति गठित किया जावे।

समिति कर्मचारी संघ के मांगों पर, विचार सुनकर, सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

(1)	डॉ. बी.के. शर्मा	–	समन्वयक
(2)	डॉ. ए.के.शुक्ला	–	सदस्य
(3)	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
(4)	डॉ. जगदीश गंगवानी	–	सदस्य
(5)	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य

कर्मचारी संघ के हड़ताल के संबंध में कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। हड़ताल अवधि के वेतन के संबंध में भी चर्चा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, हड़ताल अवधि के वेतन की गणना **"No work, No pay"** के आधार पर की जावे।

क्रमांक–3

भारत सरकार की योजना (NME-ICT) के तहत (क्रं 1612/एफ–15–5/ 2010/38–1 अप्रैल 28, 2011) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के LAN सुविधा की गति को 10 Mbps से बढ़ाकर 1 Gbps किये जाने हेतु छत्तीसगढ शासन द्वारा प्राप्त अनुदान राशि रू. 45 लाख BSNL को प्रदान किए जाने की कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

क्रमांक–4

पुनर्मूल्यांकन प्रकोष्ठ में कार्यरत समन्वयक एवं सहायक समन्वयक एवं अन्य परीक्षा कार्य के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा से छूट प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **पुनर्मूल्यांकन प्रकोष्ठ में कार्यरत समन्वयक एवं सहायक समन्वयक एवं अन्य परीक्षा कार्य से जुड़े हुए शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा रु. 30,000.00 (रुपए तीस हजार मात्र) करने का अनुमोदन किया गया।**

क्रमांक–5

डॉ. सी.डी. अगाशे, एसोसिएट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला के 92 दिनों के लघुकृत अवकाश एवं रोके गये वेतन का भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ.सी.डी.अगाशे, एसोसिएट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के 92 दिनों के लघुकृत अवकाश एवं रोके गए वेतन भुगतान करने का, अनुमोदन किया गया।**

क्रमांक–6

राष्ट्रीय सेवा योजना 07 दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम 2011–12 आयोजन हेतु अग्रिम राशि रू. 30,24,347/– के स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम 2011–12 के आयोजन हेतु विभिन्न इकाइयों को प्रदान की जाने वाली अग्रिम की कुल राशि रु. 30,24,347.00 के भुगतान की स्वीकृति का, अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से–

विषय क्रमांक–1

डॉ. मो. इम्तियाज अहमद, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत विषय विशेषज्ञों द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **डॉ. मो. इम्तियाज अहमद, सहायक ग्रंथपाल, को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत विषय विशेषज्ञों द्वारा सहायक ग्रंथपाल सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने हेतु की गई अनुशंसा का, अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–2

डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, व्याख्याता, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन शाला को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत विषय विशेषज्ञों द्वारा रीडर पद पर पदोन्नति हेतु की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, व्याख्याता, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत, विषय विशेषज्ञों द्वारा रीडर पद पर पदोन्नति करने हेतु की गई अनुशंसा का, अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–3

डॉ. रवीन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत अनुवीक्षण समिति द्वारा वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने के लिए, की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **डॉ. रवीन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठ वेतनमान के लिए गठित अनुविक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं Refree के द्वारा वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

अन्य निर्णय –

विश्वविद्यालय में कार्यपालन यांत्रिकी के पद पर शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति नहीं करने के कारण यांत्रिकी संबंधी कार्य प्रभावित है, अतः निर्णय लिया गया कि इस पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ. ~~एस.के.~~ पाण्डेय)
कुलपति
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक / 2584 / अका. / कार्यपरिषद / 2011 — रायपुर, दिनांक 04 / 11 / 2011

प्रतिलिपिः

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / वित्त नियंत्रक
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)